

**राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग**

सं. एफ.6(179)परि / टैक्स / एचक्यू/ 95/ 9 डी

जयपुर, दिनांक : 4.10.2002

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179) परि / टैक्स / एचक्यू/ 95/ 9 सी, दिनांक 01.03.2002 में इसके द्वारा, तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, — स्पष्टीकरण सं. 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “सन्निर्माण उपस्कर यान और” के स्थान पर अभिव्यक्ति “डम्पर, लोडर” प्रतिस्थापित की जायेगी ।

**राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव**